पत्र सं0–स0नि0–सोलर–रुफ–टॉप / 2023–24 / 480 / राज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त,
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त जोनल अपर आयुक्त,
   राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2. अपर निदेशक,
   राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
   उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(सम्पत्ति अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक :: 22 सितम्बर, 2023**

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0–24 / 2023 / 50 / 87–अति.ऊ.सो.वि. / 2023 दिनांक 03–03–2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सभी सरकारी / अर्द्धसरकारी कार्यालय भवनों तथा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में रुफ टॉप सोलर लगवाने के लिये मिशन मोड में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

अतः उक्त शासनादेश दिनांक 03–03–2023 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किये जा रहे है कि शासनादेश में दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हुए, सोलर रुफ टॉप की स्थापना के सम्बन्ध में परिपक्व एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तत्काल मुख्यालय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार–अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0 / प्रभारी नजारत) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- 24/2023/50/87-अति.ऊ.स्रो.वि./2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव /सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग दिनांक 03 मार्च, 2023

विषयः प्रदेश के समस्त सरकारी /अर्ध सरकारी भवनों तथा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिन-प्रतिदिन ऊर्जा की बढ़ती मांग तथा सीमित पारम्पारिक ऊर्जा के तेजी से क्षय हो रहे भण्डारों के दृष्टिगत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बढ़ती मांग को पूरा करने के वैश्विक प्रयास किये जा रहे है। संस्ती एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सतत ऊर्जा विकास लक्ष्य (एसडीजी गोल-7) के माध्यम से भारत सरकार आगामी 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी करते हुए 50 प्रतिशत ऊर्जा निर्भरता नान फासिल फयूल के माध्यम से किये जाने हेतु प्रयासरत है। प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रचार-प्रसार एवं उसके उपयोग कर वैकल्पिक ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 सरकार की नोडल एजेन्सी के रूप में कार्यरत है। एसडीजी गोल-7 के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सरकारी /अर्ध सरकारी भवनों की खाली छतों पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित नियमन क आधार पर ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप संयंत्रों की स्थापना उचित विकल्प सिद्ध होगा।

2. राज्य सरकार द्वारा अभी हाल में सौर ऊर्जा नीति, 2022 भी प्रख्यापित की गयी है जिसमें सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों तथा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर रूफ टाप सोलर का प्रयोग होने पर कतिपय सुविधायें भी अनुमन्य की गयी है। इस सुविधा के उपयोग से बिजली के बिल में भी बचत होगी।

3. सरकारी एवं अर्द्धसरकारी भवनों तथा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर रूफ टाप सोलर लगवाने के लिए दो विकल्प सुलभ हैं। विभाग या तो स्वयं शासकीय व्यय पर अपने विभागीय बजट व्यवस्था से रूफ टाप सोलर स्थापित करायें या फिर निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से रेस्को मोड के अन्तर्गत रूफ टाप सोलर स्थापित करायें। इसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उ0प्र0 (यू०पी० नेडा) से प्राप्त की जा सकती है। इस बारे में एक संक्षिप्त नोट भी सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

4. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके विभाग के अधीन सभी सरकारी / अर्द्धसरकारी कार्यालय भवनों तथा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में रूफ टाप सोलर लगवाने के लिए मिशन मोड में प्रभावी कार्यवाही कराने का कष्ट करें। इस हेतु किस वर्ष में किस-किस जनपद के किस-किस सरकारी/अर्द्धसरकारी भवनों तथा सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों पर रूफ टाप सोलर लगवाया जाना है, इसे भी अवधारित कर लिया जाये और इस दृष्टिकोण से विभागीय बजट में सुसंगत मद में समुचित प्राविधान समय से करा लिया जाये। इस बारे में जो भी विभागीय रणनीति बनायी जाये उसका विवरण आगामी 15 दिन में अतिरिक्त ऊर्जा विभाग तथा नेडा से साझा किया जाये।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

उपर्युक्त की प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितरू-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा/ माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा /प्राविधिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा/ कृषि शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
5. आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
9. निदेशक, नेडा, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि कृपया जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों को इस दिशा में जनपद स्तर पर प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु निदेशित करने का कष्ट करें तथा सरकार के विभिन्न विभागाध्यक्षों से समन्वय करके उन्हें समुचित मार्गदर्शन भी प्रदान करें।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

महेश कुमार गुप्ता
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in